पाँच रुपये पाच रुपये पाच रुपये पाच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल केम्प, भोपाल

नि. 2863/PBR/15

श्रीमति चंदाबाई पुत्री श्री श्यामलाल रघुवंशी
निवासी–ग्राम बिच्छापुर,
तह0–टिमरनी, जिला हरदा ——— **आवेदिका**

विरुद्ध

(1) **अर्जुन सिंह** आ0श्री नत्थूसिंह राजपूत
(2) **देवेन्द्र** आ0श्री अर्जुन सिंह राजपूत (मृतक)
निवासी–ग्राम बिच्छापुर,
तह0–टिमरनी, जिला हरदा ———**अनावेदकगण**

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959 विरुद्ध आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय टिमरनी जिला हरदा के प्र.क्रं.15अ/6अ/2012–13 अर्जुन सिंह विरुद्ध चंदाबाई में पारित आदेश दिनांक 03.08.15 से असंतुष्ट होकर यह पुनरीक्षण समयावधि में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है

महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2863–पीबीआर/2015 **जिला हरदा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–11–2015	आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 3–8–15 की सत्यप्रतिलिपि व अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार द्वारा मृतक अनावेदक कमांक 2 के वैध वारिस कांतीबाई को अभिलेख पर लेने संबंधी व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	